## —तिरासी—

उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 संख्या सं0वि०क०नि०-5-463-11-2006-500(114)-2005 लखनऊ, दिनांक 23 फरवरी, 2006 अधिसूचना

प0आ0-65

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या २ सन 1899) की धारा ९ की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या के०एस०वी० ५-3706 / 11-98-500(20) / 98 दिनांक 31 अगस्त, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन उपर्युक्त अधिसूचना में, उसके अन्त में आने वाले परन्तुक के स्थान निम्नलिखित परन्तु रख दिया जायेगा. अर्थात :--

"परन्तु यह अधिसूचना उपर्युक्त अधिनियम के अनुसूची एक—ख के निम्नलिखित लिखतों के लिए लागू होगी। ऑकना या मूल्यांकन (अनुच्छेद 8), अधिनिर्णय (अनुच्छेद 12), बाटमरी बंध पत्र (अनुच्छेद 16), सीमा शुल्क बन्ध पत्र (अनुच्छेद 26), बन्धक विलेख (अनुच्छेद 40(क), अनुच्छेद 40(ख)), बंटवारा (अनुच्छेद 45), भागीदारी (अनुच्छेद 46), मुख्तारनामा (अनुच्छेद 48), बन्धक की गई सम्पत्ति की प्रति हस्तान्तरण (अनुच्छेद 54), निर्मीचन (अनुच्छेद 55), जहाँजी माल बंध पत्र (अनुच्छेद 56), बंदोबस्त (अनुच्छेद 58), पटटा अभ्यर्पण (अनुच्छेद 61), न्यास (अनुच्छेद 64)"।

आज्ञा से. ह0अस्पष्ट शेखर अग्रवाल. प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. S.V.K.N. 5-463/XI-2006-500(114)/2005 dated February 23,2006 for general information.

### No. S.V.K.N.5-463/XI-2006-500(114)-2005

# Lucknow, Dated February 23, 2006 Notification Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the general clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following amendment in Government notification no. K.S.V. S-3706/11-98-500 (20)/98 dated August 31, 1998.

#### <u>AMENDMENT</u>

In the aforesaid notification, for the proviso appearing in the end thereof, the following proviso shall be substituted, namely ;-

Provided that this notification shall apply to the following instruments of Schedule 1-B of the aforesaid Act:-

"Appraisement or valuation (Article 8), Award (Article 12), Bottamary Bond (Article 16), Custom Bond (Article 26), Mortgage deed [Article 40 (a), Article 40 (b)], Partition (Article 45), Partnership (Article 46), Power of Attorney (Article 48), Reconveyance of mortgaged property (Article 54), Release (Article 55), Respondentia bond (Article 56), Settlement (Article 58), Surrender of lease (Article 61), Trust (Article 64)".

By order, Sd/-Illegible SHEKHAR AGARWAL, Pramukh Sachiv.